



झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
**झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड**  
हरमू, राँची, झारखण्ड - 834002

Phone: 0651-2241929, e-mail : md.jshb@gmail.com

पत्रांक :- 05 / आ0-254 / 2007

215/B70

राँची, दिनांक 6/11/21

प्रेषक,

भूसम्पदा पदाधिकारी,  
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, आदित्यपुर।


विषय :- डिण्डली, आदित्यपुर स्थित उच्च आय वर्गीय भूखण्ड संख्या- एच-282 पर भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 1945 दिनांक 05.08.2020  
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि डिण्डली, आदित्यपुर स्थित उच्च आय वर्गीय भूखण्ड संख्या- एच-282 के आवंटी श्री जनेश्वर कुमार द्वारा उक्त भूखण्ड पर मकान निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकार से प्रस्तावित नक्शा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित, झारखण्ड भवन नियमावली-2016 एवं Amendment Bye Laws-2017 के तहत आवासीय उपयोग हेतु पारित करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर निर्गत किया जाता है :-

1. एकरारनामा की कंडिका- 13 में दिए गए शर्तों के अनुरूप निर्माण कार्य किया जाएगा।
2. आवंटी द्वारा भूखण्ड पर नगर निगम, आदित्यपुर से पारित नक्शा के अनुरूप निर्माण कार्य किया जायेगा।
3. आवंटी द्वारा भूखण्ड/उसपर निर्मित मकान पर किसी प्रकार का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम, आदित्यपुर द्वारा पारित नक्शा की एक प्रति बोर्ड मुख्यालय को तथा एक प्रति जमशेदपुर प्रमंडल के कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वास भाजन

  
6/11/21  
भू-सम्पदा पदाधिकारी  
Duma